



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार),  
उप क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा  
ब्लॉक B, सेक्टर 57, नोएडा  
उत्तर प्रदेश – 201301  
टोल-फ्री नंबर : 1800-11-2526

FOLLOW US ON



(Scan QR Code)

## नियोजकों एवं कर्मचारियों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए (SPREE) स्त्री 2025 योजना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नियोजकों एवं कर्मचारियों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना SPREE (Scheme to Promote Registration of Employers/Employees) को अनुमोदित किया गया है, जिसका उद्देश्य क.रा.बी. अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों एवं कर्मचारियों का पंजीकरण बढ़ाना है।

### स्त्री 2025 योजना से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions) एवं उनके उत्तर

#### (1) स्त्री 2025 क्या है?

स्त्री (नियोजकों और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की एक विशेष पहल है, जो नियोजकों को 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक अपने कारखानों/प्रतिष्ठानों और सभी पात्र कर्मचारियों को पिछले अवधि के बकाए की किसी भी मांग के बिना पंजीकृत करने के लिए एक शानदार अवसर प्रदान करती है।

#### (2) इस योजना से कौन लाभ उठा सकता है?

- ❖ उन कारखानों या प्रतिष्ठानों (दुकानों, होटलों और रेस्तरां, सिनेमा हॉल, सड़क मोटर परिवहन प्रतिष्ठानों, समाचार पत्र प्रतिष्ठानों, निजी चिकित्सा संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों और नगर निगमों के संविदा और आकस्मिक कर्मचारियों) के नियोजक जिनके पास 10 या अधिक कर्मचारी हैं, जो कार्यान्वित क्षेत्रों में स्थित हैं, और जो पात्र होने के बावजूद अभी तक ESI अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हैं।
- ❖ जिन नियोजकों ने ESI अधिनियम के तहत अस्थायी, आकस्मिक या संविदात्मक श्रमिकों सहित सभी पात्र कर्मचारियों को पंजीकृत नहीं किया है।

#### (3) नियोजकों को स्त्री 2025 के तहत पंजीकरण क्यों करना चाहिए?

- ❖ इस योजना के तहत नियोजक द्वारा घोषित पंजीकरण की तारीख से पहले की अवधि के लिए पिछले रिकॉर्ड का कोई निरीक्षण या बकाया की मांग नहीं की जाएगी।
- ❖ पिछली अवधि के लिए कोई योगदान दायित्व नहीं है।
- ❖ पूर्व में पंजीकरण नहीं कर पाने पर किसी भी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा मिलती है।

#### (4) कर्मचारियों के लिए मुख्य लाभ क्या है?

एक बार पंजीकृत होने पर, कर्मचारियों (बीमाकृत व्यक्तियों) को उनके नियोजक के पंजीकरण की तारीख से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:

- ❖ स्वयं और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा देखभाल।
- ❖ बीमारी, मातृत्व, चोट, या रोजगार के कारण मृत्यु के मामलों में नकद लाभा
- ❖ ESI अधिनियम, 1948 के तहत सुरक्षा, जो दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करती है।

#### (5) स्त्री 2025 के तहत पंजीकरण प्रक्रिया क्या है?

नियोजक निम्नलिखित माध्यम से अपने प्रतिष्ठान को पंजीकृत कर सकते हैं:

- ❖ ESIC पोर्टल: <https://www.esic.gov.in>
- ❖ ESIC पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण के संबंध में मदद के लिए: [https://portal.esic.gov.in/ESICInsurance1/ESICInsurancePortal/Employer\\_Employee\\_registration\\_through\\_portal.pdf](https://portal.esic.gov.in/ESICInsurance1/ESICInsurancePortal/Employer_Employee_registration_through_portal.pdf)
- ❖ श्रम सुविधा पोर्टल (पंजीकरण के लिए, कृपया नीचे दिए गए लिंक पर जाएं): <https://registration.shramsuvridha.gov.in/user/register>
- ❖ MCA पोर्टल

#### (6) स्त्री 2025 के तहत कवरेज की तारीख क्या है?

- ❖ नियोजक का कवरेज इस योजना के तहत पंजीकरण के समय उनके द्वारा पंजीकरण की तारीख से शुरू होगा।
- ❖ कर्मचारी का कवरेज भी नियोक्ता द्वारा घोषित तारीख से होगा।
- ❖ नियोजक के पंजीकरण की तारीख से पहले योगदान की कोई पिछली बकाया राशि का दावा नहीं किया जाएगा और कोई पूर्वव्यापी लाभ लागू नहीं होगा।

#### (7) क्या कोई निरीक्षण या जुर्माना होगा?

नहीं, स्त्री 2025 के अंतर्गत:

- ❖ कवरेज की तारीख से पहले की अवधि के लिए कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा।
- ❖ पिछली अवधि के योगदान की मांग नहीं की जाएगी।
- ❖ यह एक स्वैच्छिक, परेशानी-मुक्त योजना है।

#### (8) स्त्री 2025 राष्ट्रीय उद्देश्यों का समर्थन कैसे करता है?

यह निम्नलिखित को बढ़ावा देता है:-

- ❖ सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज।
- ❖ कारखानों और प्रतिष्ठानों (दुकानों, होटलों और रेस्तरां, सिनेमा हॉल, सड़क मोटर परिवहन प्रतिष्ठानों, समाचार पत्र प्रतिष्ठानों, निजी चिकित्सा संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों और नगर निगमों के संविदा और आकस्मिक कर्मचारियों) में अस्थायी और आकस्मिक कार्यबल सहित सभी कर्मचारियों तक कवरेज का विस्तार करना।
- ❖ व्यापार करने में सुगमता के लक्ष्य का समर्थन करता है।

**सहायता** या अन्य किसी भी प्रकार के अन्य प्रश्नों के लिए आप कृपया हमारी वेबसाइट <https://www.esic.gov.in> पर जाएं या अपने निकटतम शाखा कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें।

